दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

12/1/1

पत्रांक : 4691 /05/76/एक/2017–18 दिनांक :23 फरवरी 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–कन्नौज।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	4591000100037646	IFSC Code PUNB0459100	115.105

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
1	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	पटेलनगर (बहबलपुर) में प्राइमरी स्कूल से डूडा शौचालय तक।	5.102
2	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	पटेलनगर में बाबूराम जाटव के मकान से सतीश जाटव के मकान होते हुए तक बहबलपुर की तरफ।	6.699
3	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	बहबलपुर में जाटओं वाली पुलिया से दुलारे जाटव के मकान तक।	5.961
4	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	आर्यनगर (नई बस्ती) रामनगर में प्रमोद के मकान से ग्रीश के मकान तक, मेसर्स फरीद आटो मोबाइल शाप के पीछे से ग्रीश के मकान होते हुए मसैद बस्ती की तरफ।	5.169
5	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	सुभाषनगर में लल्लन बाबू गिहार के मकान से तार बाबू गिहार व जयवीर के घर से सी सी रोड तक।	2.656
6	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	सुभाषनगर में ग्रीश चन्द्र गिहार के मकान से हैण्ड पम्प होते हुए कुँअर सिंह गिहार के मकान तक।	1.904
7	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	सुभाषनगर में जयवीरगिहार के मकान से जलील व कमलेश के मकान होते हुए रमेश नट के मकान तक।	2.580
8	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	सुभाषनगर में रामबरन फौजी के मकान से सुनील कुमार के मकान व सुनील कुमार के मकान से किशन कुमार के मकान तक।	2.642
9	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 छिबरामऊ	संजयनगर हीरालाल कालेज से सौरिख बस स्टैण्ड तक।	6.602
10	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 सिकन्दपुर	इन्द्रानगर में झब्बूलाल के मकान से नगर सीमा तक।	6.464
11	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 सिकन्दपुर	अम्बेडकरनगर में सार्वजनिक कुँआ से पातीराम के मकान तक।	4.195
12	कन्नौज	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 गुरूसहायगंज	आजादनगर में आजाद के मकान से मुन्ना ठाकुर के व अम्बेडकरनगरपार्क तक।	1.659

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

121/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
13	कन्नौज	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0प0 गुरूसहायगंज	गाँधीनगर में विधायक रोड से डुडवा रोड तक।	10.063
14	कन्नौज	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0प0 गुरूसहायगंज	अफसरी में नंगापुरवा रोड से तिर्वा रोड तक नार्थ साइड।	9.244
15	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिकन्दरापुर	सुभाष नगर मे विशुनदयाल के मकान से मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.274
16	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कन्नौज	शेखाना मे शमीम के मकान से नूरल हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.148
17	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कन्नौज	बिलोचीपुरा मे फहीम के मकान से हसीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.129
18	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	गणेश चौधरी मे असलम के मकान से अख्तर हाफिजी जी के मकान नूर के मकान, लल्लू बाबू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.793
19	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	सराफान मे शकील के मकान से संतू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.819
20	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	ऊँचा नई बस्ती मे कैलाश ठाकुर के मकान से अरसद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.712
21	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	इन्द्रानगर मे लायक के मकान से असलम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.775
22	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	अम्बेडकर नगर मे अजय के मकान से अफरोज के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.362
23	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	सेक्टर नं0 04 आवास विकास कालोनी मे प्लाट नं0 4/08 से 04/33 तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.148
24	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 छिबरामऊ	आवास विकास कालोनी मे सेक्टर नं0 04 मे इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.693
25	कन्नौज	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 तालग्राम	गिर्री कुंआ मे नदीम के मकान से आरिफ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.312
	योग				115.105

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

12/3

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य करायें जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,
(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक